दिनांक–25.03.2026 को सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र अंतर्गत मुख्य अभियंता, सभी अधीक्षण अभियंता, सभी कार्यपालक अभियंता एवं नामित सभी संबंधित नवनियुक्त सहायक अभियंता (मु0) के साथ PRD से PHED कों हस्तांतरित योजनाओं के संबंध में समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाहीः–

- सर्वप्रथम क्षेत्रीय मुख्य अभियंता मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रक्षेत्र अंतर्गत पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित योजनाओं में लधु/वृहत मरम्मति योजनाओं के लिए बढ़ी हुई राशि का विस्तृत चर्चा करते हुए अवगत कराया गया।

  - लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि कतिपय योजनाओं में कम दबाव होने के कारण अंतिम छोर तक जलापूर्ति संभव नहीं है एवं 30 से 40 घरों के लिए अलग से योजना बनाने कि आवश्यकता है।
  - लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर के प्रखंड–कुढ़नी की योजनाओं में मुख्यालय स्तर से नवनियुक्त सहायक अभियंता (मु0) द्वारा जांचोपरांत बताया गया कि विद्युत मीटर का अधिष्ठापन नहीं होने, पाईपलाईन नहीं बिछे होने एवं स्टेजींग का कार्य अपूर्ण होने के कारण अप्रैल–2025 से योजना बंद है। उक्त के आलोक में संबंधित कार्यपालक अभियंता, मोतीपुर से प्रशाखा–05/11 से स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया गया।

    अनुपालनः– अभियंता प्रमुख सह–विशेष सचिव के प्रावैद्यिक सचिव।
  - लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा द्वारा बताया गया कि कई योजनाओं में निजी जमीन होने के कारण संबंधित जमीन दाता द्वारा जमीन अपने अधीन करने के कारण वहाँ पर जलापूर्ति बाधित है। उक्त के आलोक में संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि उक्त मामलों को जिला पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर यथाशीघ्र मामलों को निष्पादन कराना सुनिश्चित करेंगे। समीक्षा के दौरान लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा, प्रखंड–दरभंगा सदर में संबंधित सहायक अभियंता द्वारा योजनाओं की जांच के क्रम में पाया कि कई योजनाओं में कम Die के पाईप लगे होने के कारण अंतिम छोर पर स्थित घर तक जलापूर्ति नहीं हो पा रही है एवं उनके द्वारा बताया गया कि इन योजनाओं की सही तरीके से डिजाइन नहीं किया गया है।

    अनुपालनः–संबंधित कार्यपालक अभियंता/ संबंधित सहायक अभियंता ।
  - जिला मधुबनी में जांच हेतु प्राधिकृत नवनियुक्त सहायक अभियंता (मु0) द्वारा संज्ञान में लाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधुबनी अंतर्गत हरलाठी वार्ड–17 में योजना मानदेय भुगतान नहीं होने के कारण अकार्यरत है, जिसके फलस्वरूप जलापूर्ति टैंकर के माध्यम से की जा रही है। छिटकी के वार्ड–06 में योजना बोरिंग फेल हो जाने के कारण छह माह से अकार्यरत है एवं भू–स्वामी द्वारा बोरिंग करने हेतु समस्या उत्पन्न की जा रही है।

    अनुपालनः–संबंधित कार्यपालक अभियंता/ संबंधित सहायक अभियंता ।

- ❖ सभी नवनियुक्त सहायक अभियंता (मु0) को निदेशित किया गया कि दैनिक रूप से किए जा रहे जांच में पाए गए त्रुटियों से संबंधित कार्यपालक अभियंता को अवगत कराएंगे एवं मुख्यालय को प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। योजनाओं में त्रुटियों का निराकरण के अनुपालन का अनुश्रवण नवनियुक्त सहायक अभियंता स्वयं करेंगे।

अनुपालनः—संबंधित कार्यपालक अभियंता / संबंधित सहायक अभियंता ।

- ❖ नवनियुक्त सहायक अभियंता (मु0) द्वारा संज्ञान में लाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, झंझारपुर अंतर्गत पंचायत—नरेन्द्रपुर में एक योजना में जलापूर्ति नहीं की जा रही है। जिस पर संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि ऐसे कम से कम 25 योजना है, जिसमें 20 या 20 से कम घर हैं, जिन्हें छुटा टोला के अंतर्गत नहीं लिया गया है जिस कारण वहाँ पर जलापूर्ति नहीं की जा रही है।

अनुपालनः—संबंधित कार्यपालक अभियंता / संबंधित सहायक अभियंता ।

- ❖ नवनियुक्त सहायक अभियंता (मु0) द्वारा संज्ञान में लाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, छपरा अंतर्गत ईशुपुर में विद्युत मीटर नहीं होने के कारण योजना बंद है एवं तीन अन्य योजना में वोल्टेज समस्या के कारण योजना बंद है।
- ❖ नवनियुक्त सहायक अभियंता (मु0) द्वारा संज्ञान में लाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सिवान अंतर्गत दो याजनाओं में पंप अनुरक्षक का भुगतान नहीं होने कारण योजना बंद है।
- ❖ सभी अधीक्षण अभियंताओं को निदेशित किया गया कि 50 फीट से ज्यादा जलस्तर वाले क्षेत्रों को पुनः जलस्तर जांच करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही नवनियुक्त सहायक अभियंता (मु0) को भ्रमण के दौरान पंचायतों के जलस्तर जांचने हेतु निदेशित किया गया।

अनुपालनः—सभी अधीक्षण अभियंता / संबंधित सहायक अभियंता ।

- ❖ सभी प्रमंडलों को निदेशित किया गया कि पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित योजनाओं में वृहत कार्य मरम्मति हेतु वास्तविक आधार पर आकलन कर अगले दस दिनों के अंदर प्राक्कलन मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः—संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- ❖ विभागीय पत्रांक—565 दिनांक—14.12.2022 के आलोक में सभी अचंलों को निदेशित किया गया है कि सभी योजनाओं में पंजियों का संधारण करने हेतु अपने अधीनस्थ प्रमंडलों को निदेशित करेंगे एवं स्वयं उसका अनुश्रवण करेंगे।

अनुपालनः—संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित कार्यपालक अभियंता / संबंधित सहायक अभियंता ।

- ❖ सभी नवनियुक्त सहायक अभियंता (मु0) को निदेशित किया गया कि PHED/PRD के छुटे हुए टोलों में कराए जा रहे कार्यों के दस प्रतिशत का जांच कर प्रतिवेदन मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः— संबंधित सहायक अभियंता / मुख्य अभियंता (अनुश्रवण)।

❖ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रक्षेत्र अंतर्गत संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि कतिपय योजनाओं को DROP करना है एवं नई योजनाओं को लेना है। अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय) द्वारा संज्ञान में लाया गया कि विभाग के सभी प्रमंडलों द्वारा मुख्यालय को प्रमाण–पत्र देते हुए यह प्रमाणित किया गया है कि उनके क्षेत्रातंर्गत कोई भी छूटा हुआ टोला अवशेष नहीं है जिनका जलापूर्ति योजना नहीं बना है। परंतु समीक्षा के दौरान यह बातें बार–बार उजागर होती है कि 20–30 घरों के लिए योजना नहीं बनाई गई है जिससे वहाँ आमजन जलापूर्ति से वंचित हैं। उक्त के आलोक में उन सभी प्रमंडलों से स्पष्टीकरण प्रशाखा–05 / 11 से करने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः–अभियंता प्रमुख सह–विशेष सचिव (मु0) के प्रावैधिक सचिव / संबंधित कार्यपालक अभियंता ।

❖ समीक्षा के दौरान संज्ञान में यह भी आ रहा है कि संवेदकों द्वारा जो पी–ग्रेवल उपयोग में लाया जा रहा है वह मानक के अनुरूप नहीं है। इस संबंधित में सभी प्रमंडलों को निदेशित किया गया कि ई–चालान देख कर ही भुगतान करना सुनिश्चित करें। अगर कहीं ऐसा पाया जाता है कि बिना ई–चालान देखे कार्यपालक अभियंता द्वारा भुगतान कर दिया गया है तो उसकी सारी जवाबदेही संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी। साथ ही संबंधित सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि संवेदकों द्वारा जो कार्य कराया जा रहा है, अपनी उपस्थिति में ही मानक के अनुरूप कराएं।

अनुपालनः–संबंधित कार्यपालक अभियंता / संबंधित सहायक अभियंता / संबंधित कनीय अभियंता ।

1. विद्युत विपत्रों के भुगतान की स्थिति एवं स्मार्ट मीटर अधिष्ठापन की स्थितिः–

❖ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर अतंर्गत सभी अधीक्षण अभियंताओं को निदेशित किया गया है कि अपने अधीनस्थ प्रमंडलों के PWS/MVS/SVS/MINI जलापूर्ति योजनाओं का 38 कॉलम संबंधी त्रुटिरहित प्रतिवेदन (Soft and Hard copy) अविलंब अपने एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता के स्पष्ट मंतव्य के साथ समर्पित करेंगे।

अनुपालनः–सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता ।

❖ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर अतंर्गत सभी प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं को निदेशित किया गया कि ''डिफेक्टिव मीटर के कारण जहाँ औसत बिलिंग किया जा रहा है'' के संबंध में अपने अधीनस्थ कनीय अभियंताओं एवं सहायक अभियंताओं का समीक्षा करेंगे एवं डिफेक्टिव विद्युत मीटर के स्थान पर नये विद्युत मीटर के अविलंब अधिष्ठापन हेतु संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता से अनुरोध करेंगे। साथ ही सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेशित किया गया कि वास्तविक बिलिंग के आधार पर विद्युत विपत्र का भुगतान कराना सुनिश्चित करेंगे। डिफेक्टिव विद्युत मीटर की जगह नए मीटर को अधिष्ठापित करने हेतु CGRF Portal (बिहार स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड) पर शिकायत को अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः–सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता ।

❖ सभी अधीक्षण अभियंताओं को निदेशित किया गया कि अधीनस्थ प्रमंडलों का महीने में कम–से–कम दो बार विद्युत विपत्र भुगतान एवं विद्युत संबंधी अन्य समस्याओं के संबंध में कनीय अभियंताओं एवं सहायक अभियंताओं के साथ समीक्षा करेंगे तथा उक्त समस्याओं का निराकरण कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः–सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता ।

❖ सभी प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं को निदेशित किया गया कि स्मार्ट मीटर अधिष्ठापन संबंधी प्रतिवेदन (Soft copy in Excel) अविलंब मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

अनुपालनः–सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता ।

❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा संवेदकों/एजेंसियों को डिवार से मुक्त करने हेतु की जा रही अनुशंसा में मात्र एकरारनामा विशेष से संबंधित विद्युत उपभोक्ता संख्याओं के विरूद्ध लंबित बकाये राशि को ध्यान में रखते हुए अनुशंसा किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। क्योंकि संबंधित संवेदक/एजेंसियों का उसी प्रमंडल के अन्य एकरारनामा के विद्युत उपभोक्ता संख्याओं के विरूद्ध अत्याधिक मात्रा में बकाये राशि का भुगतान लंबित रहता है। फलतः सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं, सभी अधीक्षण अभियंताओं एवं सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेशित किया गया कि किसी संवेदक/एजेंसी विशेष को डिवार/कालीसूची से मुक्त करने की अनुशंसा से पूर्व उस संवेदकों/एजेंसियों से संबंधित सभी एकरारनामा के विद्युत उपभोक्ता संख्याओं के विरूद्ध लंबित बकाये राशि का समीक्षा कर लेंगे। बकाये राशि का संतोषजनक भुगतान होने पर ही डिवार/कालीसूची से मुक्त करने हेतु अनुशंसा करेंगे अन्यथा विद्युत विपत्रों के बकाये राशि के उत्तरोत्तर वृद्धि में उन्हें भी संलिप्त मानते हुए उनके विरूद्ध भी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

अनुपालनः– सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/संबंधित सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता।

❖ सभी सहायक यांत्रिक अभियंता सह–नोडल पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि वे विद्युत उपभोक्ता संख्याओं के सत्यापित बकाया राशि के विरूद्ध प्रतिवेदित भुगतान का विभागीय MIS पर प्रमंडलों द्वारा साक्ष्य सहित की जा रही प्रविष्टि की शुद्धता की जाँच नियमित रूप से करेंगे एवं त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि की स्थिति में सुधार हेतु मामले को संबंधित कार्यपालक अभियंता के संज्ञान में लाते हुए अविलंब सुधार कराना सुनिश्चित करेंगे। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता अवांछनीय होगी। संबंधित सहायक यांत्रिक अभियंता सह–नोडल पदाधिकारी द्वारा की जा रही कार्यों का अनुश्रवण सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता द्वारा किया जाएगा।

अनुपालनः–सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/संबंधित सहायक यांत्रिक अभियंता सह–नोडल पदाधिकारी।

❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कतिपय प्रमंडलों द्वारा MIS पर विद्युत उपभोक्ता संख्या का मैपिंग आंशिक रूप से की गई है। इस पर खेद व्यक्त करते हुए सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि उक्त कार्य में शिथिलता न बरती जाय एवं मैपिंग कार्यों को अगले तीन दिवसों में पूर्ण करें।

अनुपालनः– सभी कार्यपालक अभियंता/सभी सहायक यांत्रिक अभियंता सह–नोडल पदाधिकारी।

❖ समीक्षा के क्रम में संज्ञान में लाया गया कि कतिपय जलापूर्ति योजनाओं पर विद्युत मीटर क्रियाशील रहने के बावजूद औसत के आधार पर विपत्रीकरण किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। अधिकांश मामलों में उक्त विपत्रीकरण त्रुटिपूर्ण है एवं विपत्रीकरण की राशि अत्याधिक होने के कारण भुगतान भी नहीं हो पाता है। अतएव सभी कार्यपालक अभियंताओं एवं सहायक यांत्रिक अभियंता सह–नोडल पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि ऐसे उपभोक्ता संख्याओं को चिन्हित करते हुए संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर विपत्रीकरण का अनुरोध करेंगे।

अनुपालनः– सभी अधीक्षण अभियंता /सभी कार्यपालक अभियंता/सभी सहायक यांत्रिक अभियंता सह–नोडल पदाधिकारी।

2. CGRC की स्थिति

❖ समीक्षा के क्रम में लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा में 30 दिनों से अधिक 311 शिकायतें लंबित रहने के उपरांत संबंधित कार्यपालक अभियंता से इस संबंध में पृच्छा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि इन योजनाओं में कई जगहों पर पाईपलाईन क्षतिग्रस्त हो चुका है जिस कारण इन योजनाओं में नए सिरे से पाईपलाईन बिछाने की आवश्यकता है। प्रखंड–किरतपुर पंचायत–कुबौल वार्ड सं0–01 से संबंधित समीक्षा के क्रम में संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि वहाँ भी पाईपलाईन क्षतिग्रस्त है एव PCC Road के नीचे चला गया है, जिसमें लगभग 2700 मीटर पाईपलाईन बिछाने की आवश्यकता है जिसकी अनुमानित राशि 17 लाख होगी। इस संबंध में नामित नवनियुक्त सहायक अभियंता (मु0) से पृच्छा की गई, उनके द्वारा बताया गया कि योजना चालू है परंतु PCC Road के नीचे पाईपलाईन चले जाने के कारण जलापूर्ति बाधित है। इस संबंध में MIS Portal से जांच में पाया गया कि यह योजना हस्तांतरण के समय कार्यरत थी एवं लगभग 871 मीटर पाईपलाईन से 178 घरों में जलापूर्ति की जा रही थी। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, श्री उत्कर्ष भारती को निदेशित किया गया कि योजना के हस्तांतरण में दोषी पदाधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए प्राथमिकी संख्या के साथ अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर मुख्यालय को समर्पित करेंगे।

अनुपालनः–संबंधित कार्यपालक अभियंता ।

❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा के प्रखंड–बेनीपुर पंचायत–सजनपुरा वार्ड नं0–13 में संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि लगभग 150 घरों में जलापूर्ति हो रही है एवं Tail end पर कम दबाव के कारण 200 घरों में जलापूर्ति नहीं हो रही है, इस हेतु अतिरिक्त योजना की जरूरत है। इस संबंध में नामित नवनियुक्त सहायक अभियंता (मु0) से पृच्छा की गई, उनके द्वारा बताया गया कि Tail end पर कम दबाव है एवं लगभग 180 घरों में जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। इस संबंध में MIS Portal पर जांच की गई जिसमें छुटे हुए घरों की संख्या शून्य दिखाया गया है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता को संबंधित पूर्व पदस्थापित पदाधिकारी पर कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया।

अनुपालनः– संबंधित कार्यपालक अभियंता ।

❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कार्यपालक अभियंता, दरभंगा द्वारा CGRC Portal में लंबित शिकायतों की समीक्षा/ स्थल भ्रमण की स्थिति / MIS पर अपलोड डाटा की समीक्षा का कार्य में शिथिलता बरती जा रही है। इनके द्वारा शिकायतों को कोई निष्पादन ससमय नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता को प्रशाखा–05 / 11 से स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– अभियंता प्रमुख सह–विशेष सचिव (मुख्यालय) के प्रावैद्यिक सचिव ।

❖ सभी नवनियुक्त सहायक अभियंता (मु0) को निदेशित किया गया कि MIS Portal से माप पुस्त डॉनलोड कर जांच करेंगे कि माप पुस्त के अनुसार योजना कार्यरत है अथवा नहीं। इसकी जानकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध करायेंगे।

अनुपालनः–सभी नवनियुक्त सहायक अभियंता ।

बैठक में प्राप्त सभी निदेशों का अनुपालन ससमय करने हेतु सभी उपस्थित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही संपन्न की गई।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव

ज्ञापांकः– 14/बैठक–102/24 – 327 दिनांक– 27/4/26

प्रतिलिपिः–सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार / सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, बिहार / सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहार / सभी सहायक यांत्रिक अभियंता–सह नोडल पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक अवर प्रमंडल, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/4/26

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांकः– 14/बैठक –102/24 – 327 दिनांक– 27/4/26

प्रतिलिपिः– अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मु0 / का0प्र0) / अपर सचिव / सभी मुख्य अभियंता (उत्तर बिहार / दक्षिण बिहार / यांत्रिक / अनुश्रवण) / अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव के प्रावैधिक सचिव / विशेष कार्य पदाधिकारी / सभी संबंधित नोडल पदाधिकारी / बजट पदाधिकारी / आइटी मैनेजर / संबंधित सहायक अभियंता / सभी प्रशाखा पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/4/26

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांकः–14/बैठक –102/24 –327 दिनांक– 27/4/26

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव /विशेष सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

27/4/26

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांकः– 14/प4 ठक–102/24–327 दिनांक– 27/4/26

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

27/4/26

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)